

2014/00015

पानी

Case 1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)																						
वाद/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील																			
175/14	88, 89, 91 RTA	खालकूड़ा	छबड़ा																			
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी																				
अभिभाषक वादी	बनाम	साकार कर्म																				
अभिभाषक वादी		उपस्थिति	अभिभाषक प्रतिवादी																			
श्री ज्ञान कुमार पारीक एस		दाखिला दफतर		पृष्ठ संख्या																		
प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक																					
3.11.14	10/7/15																					
कार्यवाही दिनांक																						
सम्पन्न तारीखी	जवाब वाद/प्रार्थना पत्र	विवाद्यक निर्धारण			विविध प्रार्थना पत्र																	
24.12.14 18.5.15 10.07.15	7019 कनं. 104				24.12.14 10/7/15																	
साक्ष्य वादी	साक्ष्य प्रतिवादी	बहस																				
अंतरिम एक पक्षीय निषेधाज्ञा																						
स्थगन वादी	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	प्राथमिक डिक्री	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

6507-17

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
175/2014	88,89,91 RTA	खालकपुरा	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
चम्पालाल	बनाम	सरकार वगै०	

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** विविध संदर्भ

<p>23/11/14</p> <p>(8/15)</p>	<p>अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91 RTA विरुद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में पेश किया गया, रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे, अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 24.12.2014 को पेश हो।</p> <div data-bbox="207 640 686 892" data-label="Text"> <p>आगत पीटिंग... अवकाश पर होने के कारण... दिनांक... 10/5/15 को पेश हो</p> <p>उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)</p> </div> <div data-bbox="245 892 611 1060" data-label="Text"> <p>वकील फ्रीकन उपस्थित/पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट... पर वास्ते... दिनांक 10/15 को पेश हो</p> </div>	<p>विशेषाज्ञ</p> <p>हकीमदार की</p> <p>जगद पार्षदी कार्य</p> <p>एक उपस्थित की</p> <p>जगद खानकिशन काम</p> <p>जाम उपस्थित हो</p> <p>10/15</p>
<p>10/15</p> <p>पत्रावली</p>	<p>आगत राजस्व लोक अदालत के माध्यम से पत्रावली पर पत्रावली पर नतीजा आया, वाद पत्र प्रदत्त सुनाया, मजिस्ट्रेट के माध्यम से सुनवाई की गयी, जवाब जमा हुआ है जवाब पत्र के अन्तर्गत लिखे गये, वादी का वाद खीनार किया, राजस्व के वाद के वादी के पिता का नाम, उपस्थित है। अज्ञान पर राजस्व के लिये माता का नाम पार्षदी वगैरे के लिये पर हकीम वगैरे उर्फ पार्षदी वगैरे करके के आदेश समझाया गया।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज.)</p>